

अमर उजाला

Mathura News: नकली पनीर बनाने वाले डेयरी संचालक पर लगा जुर्माना



मथुरा। जुलाई में बरसाना के गांव हाथिया में नकली पनीर पकड़े जाने की जांच रिपोर्ट आने के बाद एडीएम ने डेयरी संचालक के खिलाफ 90 हजार रुपये जुर्माना की कार्रवाई की है। डेयरी संचालक रिफाइंड, चूना और सफेद घोल का प्रयोग करके नकली पनीर बना रहा था।

अधिकारियों के मुताबिक, खाद्य सुरक्षा विभाग ने गांव हाथिया में भोला डेयरी पर कार्रवाई कर पनीर के नमूने लिए और जांच के लिए भेजे थे। पनीर बनाने में प्रयोग किए जा रहे पामोलीन आयल, चूना और सफेद घोल के नमूनों को जांच के लिए खाद्य विश्लेषक आगरा को भेजे गए थे। नमूनों की इसी सप्ताह जांच रिपोर्ट आ गई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर एडीएम प्रशासन अमरेश कुमार ने डेयरी संचालक चरन सिंह पर 90 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। एडीएम ने बताया कि निर्धारित समय एक माह के अंदर जुर्माना भरने के निर्देश दिए गए हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अधिकारियों द्वारा वसूली कराई जाएगी।

Source: <https://www.amarujala.com/uttar-pradesh/mathura/dairy-operator-fined-for-making-fake-cheese-mathura-news-c-369-1-mt11009-138774-2025-11-19>